आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

29.08.18

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0–05/2018–19
मोहम्मद शेख वगै0
बनाम
आयसुद्दीन शेख
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक मोहम्मद शेख एवं मोफिजुद्दीन शेख, दोनो पे0–जमाल शेख, सा0–पलासगाछी याकुब मंडल टोला, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण (पुनः सुनवाई) वाद संख्या 952/2010–11 में दिनांक 29.12.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 16.12.2018 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गई है तथा अंचल अधिकारी, उधवा से इस कार्यालय के ज्ञापांक 113/भू0सु0 दिनांक 06.12.2018 के द्वारा मूल अभिलेख की मांग की गई है।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

मौजा	जमाबंदी न0	रकवा
पलासगाछी दियारा	3+4, 04 एवं 1105	01–15–11

उभय पक्ष अनुपस्थित।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारीज रकीबन बीबी को निबंधित केवाला संख्या 4427 दिनांक 20.07.2010 एवं केवाला संख्या 4428 दिनांक 20.07.2010 से खरीदने के उपरांत नामान्तरण के लिए दायर की गई। उक्त नामांतरण की स्वीकृति के उपरांत अपीलार्थी की माता रकीमन बीबी के द्वारा उसी समय से मालगुजारी का भुगतान करती रही। उक्त नामांतरण के विरोध में उत्तरवादी आयसुद्दीन शेख के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में नामांतरण अपीलवाद आवेदन दाखिल किया गया, जिसे उक्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए नामांतरण अपील वाद सं0–02/2016–17 की कार्रवाई दिनांक 21.01.2017 से प्रारंभ की गई है। उक्त वाद में सुनवाई के पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद सं0 952/2010–11 में दिनांक 24.01.2011 के पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुश्रवण) अधिनियम 1973 की धारा 14(2) के अधीन 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत के उपरांत आपत्ति की तिथि निर्धारित करने के बाद ही दाखिल खारिज हेतु यथोचित निर्णय लेते हुए कार्रवाई पूर्ण करेंगे।

फलस्वरूप पुनः अंचल अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा यहाँ भी सुनवाई के उपरांत आवेदिका रकीमन बीबी, पति– जलाल शेख का नामांतरण का आवेदन अस्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध ही यह वाद रकीमन बीबी के पुत्र मोहम्मद शेख एवं मोफीजुद्दीन शेख द्वारा लाया गया है।

उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि जलाल शेख के पक्ष में किये गये अनिबंधित केवाला से आयसुद्दीन इनकार करता रहा है। परन्तु केवाला में गवाहों के द्वारा केवाला की पुष्टि की गई है। साथ ही गवाह के द्वारा आवेदक के दखल के खिलाफ गवाही नहीं दी है। फलस्वरूप उनका अंत में कहना है कि केवाला, जो अस्तित्व में आया तथा सही होने का गवाह है। उसे न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। साथ

Md. Sultan Ahmed

Scanned with CamScanner

ही खारिज दाखिल का मुख्य आधार दखल होता है। जिसकी पुष्टि अपीलार्थी के पक्ष में हुई है। फलस्वरूप अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का पर्याप्त अधार नहीं है। इसके साथ ही साथ आयसुद्दीन के द्वारा स्वत्व वाद दायर किया गया है, जिसे वापस लेने का आवेदन भी दिया जा चुका है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण अपील वाद संख्या 952/2010–11 में दिनांक 29.12.2017 को पारित आदेश को अपास्त (Set –a-side) करते हुए अपीलार्थी के नाम से नामान्तरण करने का निर्देश देने का अनुरोध किये है।

आज विपक्षी अनुपस्थित है। साथ ही उनके द्वारा अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का लिखित बहस या अन्य कागजात न्यायालय को समर्पित नही किया गया है।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। उनके द्वारा अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आयसुद्दीन शेख, पिता– स्व0 आबेद अली ने फजलू शेख एवं सरफाज शेख से केवाला सं0 5800 दिनांक 04.12.1993 एवं 4480 दिनांक 08.09.1993 के द्वारा खरीद कर दखलकार हुए। तदोपरांत नामांतरण वाद सं0 788/2010–11 द्वारा अपने नाम से करवाया है। इस प्रकार जमाबंदी नं0– 3+4, रकवा 04 कट्ठा 17 धूर, जमाबंदी नं0– 04, रकवा 09 कट्ठा 14 धूर तथा जमाबंदी नं0– 1105 रकवा 01 बीघा 01 कट्ठा कुल रकवा 01 बीघा 15 कट्ठा 11 धूर जमीन अपीलार्थी आयसुद्दीन, पिता– आबेद अली के नाम से दर्ज है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त जमीन अपीलार्थी आयसुद्दीन शेख के द्वारा बिक्री नहीं किया अपितु जलाल शेख के द्वारा जाली अनिबंधित केवाला बनाकर बिक्री किया है। फलस्वरूप जलाल शेख द्वारा रकीमन बीबी को किया गया हस्तांतरण संदिग्ध है। साथ ही उक्त अभिलेख में उनके द्वारा उल्लेख है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत जमीन को लेकर प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी II में रकीमन बीबी एवं आयसुद्दीन शेख के नाम से दो अलग–अलग जमाबंदी चल रहा है तथा प्रश्नगत भूमि पर रकीमन बीबी, पति– जलाल शेख का कब्जा है।

अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा सभी कागजात के अवलोकनोपरांत पुनः सुनवाई में आवेदिका रकीमन बीबी पति जलाल शेख का नामांतरण संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

इस वाद में दिनांक 04.02.2019 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन के मार्फत संज्ञान में दिया गया कि प्रश्नगत जमीन निबंधित केवाला द्वारा अपीलार्थी ने विपक्षी से क्रय कर दखलकार बने हुए है। अतएव सुलहनामा के आधार पर आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं पायी गयी, जिसे आधार बनाकर उनके आदेश को अपास्त (Set-a-side) किया जाय।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

Scanned with CamScanner